अध्याय-2

वन भूमि का व्यपवर्तन

अध्याय-2

वन भूमि का व्यपवर्तन

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के दिशा-निर्देशों के प्रस्तर 1.3 एवं 1.4 के अनुसार, किसी भी गैर-वन उद्देश्य के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन के समस्त प्रस्तावों को, चाहे इसका स्वामित्व किसी का भी हो, भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होगी एवं उसे राज्य के नोडल अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। वन भूमि के व्यपवर्तन के लिए, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दो चरणों में स्वीकृति दी जाती है; प्रथम चरण में प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति दी जाती है। इस चरण में क्षतिपूरक वनीकरण और क्षतिपूरक वनीकरण करने हेतु निधियों की व्यवस्था के लिए भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत समकक्ष गैर-वन भूमि के हस्तांतरण, दाखिल-खारिज और आरक्षित वन या संरक्षित वन की घोषणा से संबंधित शर्तें निर्धारित हैं। निर्धारित शर्तों के अनुपालन के पश्चात औपचारिक अनुमोदन जारी किया जाता है, जिसे अनुमति का द्वितीय चरण या अंतिम अनुमति भी कहा जाता है। इसके पश्चात, जब भी राज्य सरकार गैर-वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के उपयोग की अनुमति देने का निर्णय लेती है, तो उसे चरण-I और चरण-II के अनुसार भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तों और सुरक्षा उपायों के साथ उस आशय का एक आदेश पारित करना होता है।

उत्तराखण्ड में, वर्ष 2014-22[1] की अवधि के दौरान विकासात्मक कार्यों हेतु वन भूमि के व्यपवर्तन के 2,144 प्रकरण (15,083.76 हेक्टेयर) प्रस्तुत किए गए थे, जिनमें से 679 प्रकरणों (3,947.43 हेक्टेयर) में अंतिम अनुमति दी गई थी, 782 प्रकरणों (2,025.97 हेक्टेयर) में सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई थी और शेष 683 प्रकरण (9,110.36 हेक्टेयर) विभिन्न चरणों में लंबित/प्रक्रियाधीन हैं। उपरोक्त 679 अंतिम अनुमति के प्रकरणों में, ऐसा कोई प्रकरण नहीं देखा गया जिसमें क्षतिपूर्ति भूमि/नामित वन भूमि प्राप्त नहीं हुई हो तथा किसी निजी परियोजना प्रस्तावक ने वन भूमि की आवश्यकता के लिए आवेदन नहीं किया हो। वर्ष 2019 से वर्ष 2022 तक की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, यह पाया गया कि 1,850.71 हेक्टेयर वन भूमि ***(परिशिष्ट-2.1)*** को गैर-वन उद्देश्यों के लिए व्यपवर्तित किया गया था। क्षतिपूर्ति

[1] परिवेश पोर्टल वर्ष 2014 में प्रारम्भ हुआ जिसके अंतर्गत वन भूमि स्वीकृति के प्रकरणों को अपलोड किया जाता है।

में, 3,377.63 हेक्टेयर[2] भूमि क्षतिपूरक वनीकरण के लिए निर्धारित की गई थी। लेखापरीक्षा द्वारा गैर-वन भूमि उद्देश्यों के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन के संबंध में राज्य सरकार के तंत्र के प्रदर्शन में निम्नलिखित कमियों को भी पाया गया:

2.1 नोडल अधिकारी के स्तर पर कमियाँ

वन संरक्षण अधिनियम के दिशा-निर्देशों के अनुसार, नोडल अधिकारी उन समस्त प्रस्तावों को अपनी संस्तुतियों के साथ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को अग्रेषित करेगा, जहाँ उत्तराखण्ड सरकार प्रस्ताव में इंगित गैर-वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि को अनारक्षित करने या अन्यत्र उपयोग करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत होती है। सैद्धांतिक अनुमोदन में उल्लिखित निर्धारित शर्तों के अनुपालन के बाद, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चरण-II में अंतिम अनुमोदन प्रदान किया जाता है। ऐसे प्रकरणों में, जहाँ सैद्धांतिक स्वीकृति में शर्तों का अनुपालन पाँच वर्ष से अधिक समय तक प्रतीक्षित रहता है, सैद्धांतिक स्वीकृति तत्काल रूप से निरस्त की जा सकती है। लेखापरीक्षा ने गैर-वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन के सम्बन्ध में नोडल अधिकारी स्तर पर निम्नलिखित कमियाँ देखीं:

2.1.1 अनधिकृत अनुमोदन

वन संरक्षण दिशा-निर्देशों में प्रदान की गई सड़क परियोजनाओं की सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्तें यह निर्धारित करती हैं कि व्यपवर्तित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि को किसी भी परिस्थिति में भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा।

प्रभागीय वन अधिकारी (डी एफ ओ), टोंस (पुरोला) के अभिलेखों की जाँच (सितम्बर 2022) में पाया गया कि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अनधिकृत रूप से उपयोगकर्ता एजेंसी[3] को 1.03 हेक्टेयर वन भूमि के व्यपवर्तन के लिए अंतिम स्वीकृति (जनवरी 2019) अपने स्तर पर प्रदान की गयी थी जबकि यह केंद्र सरकार द्वारा दी जानी थी।

राज्य सरकार द्वारा अपने उत्तर (जुलाई 2023) में बताया गया कि भारत सरकार ने राज्य सरकारों को ऐसे प्रस्तावों के सम्बन्ध में चरण-I का अनुमोदन जारी करने के पाँच वर्षों के भीतर चरण-II की स्वीकृति देने की अनुमति दी थी (जून 2021), जहाँ

---

[2] अधिनियम के अनुसार व्यपवर्तित भूमि के लिए समान गैर-वनभूमि या दोगुनी अवनत भूमि सम्मलित है।

[3] उत्तरकाशी में हुडोली-विंगडेरा-मल्ला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग।

चरण-I का प्रारम्भिक अनुमोदन संबन्धित राज्य सरकारों द्वारा दिया गया था। उत्तर न्यायसंगत नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा अंतिम स्वीकृति जनवरी 2019 में प्रदान की गयी थी, लेकिन भारत सरकार की अनुमति जून 2021 के पश्चात प्रभावी थी। परिणामस्वरूप, जून 2021 के निर्देश उपरोक्त अनुमोदन प्रक्रिया पर लागू नहीं थे।

2.1.2 वन्यजीव शमन योजना के लिए निधियाँ एकत्र न किया जाना

वन संरक्षण दिशा-निर्देशों के प्रस्तर 11.2 के अनुसार, वन्यजीव शमन योजना को परियोजनाओं द्वारा उत्पन्न अपेक्षित प्रभावों/ खतरों पर विचार करके परियोजनाओं के प्रस्तावों में सम्मिलित किया जाना था और उस उद्देश्य के लिए निधियाँ सैद्धांतिक स्वीकृति के पश्चात एवं परियोजना का कार्य शुरू करने का आदेश पारित करने से पहले प्राप्त की जानी थी।

लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ कि दो नमूना जाँच किये गये प्रभागों[4] द्वारा वन्यजीव शमन योजना के लिए ₹ 24.59 करोड़ की धनराशि उपयोगकर्ता एजेंसी से सैद्धांतिक स्वीकृति के स्थान पर अंतिम स्वीकृति के पश्चात मांगी गई थी। तथापि, उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान तक धनराशि जमा नहीं की गई थी।

राज्य सरकार द्वारा डी एफ ओ, हरिद्वार के प्रकरण में अवगत (जुलाई 2023) कराया गया कि उपयोगकर्ता एजेंसी को धनराशि जमा करने के लिए निर्देश जारी किए गए थे। डी एफ ओ, नरेंद्र नगर के प्रकरण में अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा किसी भी परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी पी आर) में निधियों का प्रावधान सम्मिलित नहीं था, परिणामस्वरूप, वन्यजीव शमन योजना निष्पादित नहीं की गयी थी। तथापि, यह स्पष्टीकरण उचित नहीं था क्योंकि वन संरक्षण अधिनियम में वन्यजीव शमन योजना का प्रावधान डी पी आर में सम्मिलित किए जाने की अनिवार्यता है। इस असंगति की पुष्टि डी एफ ओ, हरिद्वार के प्रत्युत्तर से भी की जा सकती है।

2.1.3 क्षतिपूरक भूमि को आरक्षित वन/संरक्षित वन के रूप में घोषित न किया जाना

वन संरक्षण दिशा-निर्देशों के प्रस्तर 2.4 (i) के अनुसार, व्यपवर्तित वन भूमि के सापेक्ष प्राप्त गैर-वन भूमि को भारतीय वन अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के अन्तर्गत आरक्षित वन या संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया जाना है और

[4] डी एफ ओ, हरिद्वार : ₹ 2.08 करोड़ और डी एफ ओ नरेंद्र नगर : ₹ 22.51 करोड़।

व्यपवर्तन की स्वीकृति के छः माह के भीतर अधिसूचना की एक प्रति के साथ सूचित किया जाना चाहिए।

नोडल अधिकारी के अभिलेखों की जाँच में ज्ञात हुआ (मई 2022) कि 339 प्रकरणों में से 22 में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभी तक क्षतिपूरक भूमि (208.62 हेक्टेयर) को आरक्षित वन या संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया जाना शेष था। राज्य सरकार ने अवगत कराया (जुलाई 2023) कि ये प्रकरण उन जनपदों[5] से संबंधित थे जिन्हें वर्ष 1893 के प्रचलित नियमों के अनुसार पूर्व से ही आरक्षित वन माना गया था और जिन्हें किसी आरक्षित वन/संरक्षित वन के रूप में घोषित किये जाने की आवश्यकता नहीं थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने मात्र उन प्रकरणों पर विचार किया था जो प्रचलित नियमों के अंतर्गत नहीं आते थे।

2.1.4 सैद्धांतिक स्वीकृति निरस्त न किया जाना

वन संरक्षण दिशा-निर्देशों के भाग अ के प्रस्तर 8(2)(अ) में निर्धारित है कि ऐसे प्रकरणों में जहाँ सैद्धांतिक स्वीकृति में निर्धारित शर्तों का अनुपालन राज्य सरकारों से पाँच वर्षों से अधिक समय से विचाराधीन था, उनमें सैद्धांतिक स्वीकृति को तुरंत निरस्त कर दिया जाये।

अभिलेखों की जाँच से ज्ञात हुआ कि 363 प्रकरण (895.71 हेक्टेयर वन भूमि) चरण-I में निर्धारित शर्तों के अनुपालन के लिए पाँच वर्षों से अधिक समय से स्वीकृति हेतु प्रतीक्षित थे और प्रकरणों को वर्तमान तक अस्वीकार/निरस्त नहीं किया गया था।

राज्य सरकार द्वारा अवगत कराया गया (जुलाई 2023) कि इन प्रकरणों को निरस्त करने के लिए आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है और अब तक, 24 प्रकरण निरस्त किए जा चुके हैं, और वर्तमान में शेष 339 प्रकरणों को हल करने की प्रक्रिया चल रही है।

2.1.5 क्षतिपूरक वनीकरण हेतु लैंड बैंक का सृजन न किया जाना

वन संरक्षण दिशा-निर्देशों के प्रस्तर 2.7 के अनुसार, राज्य को वन स्वीकृति प्रस्तावों के शीघ्र निस्तारण के लिए क्षतिपूरक वनीकरण हेतु लैंड बैंक सृजित करना था। गैर वन भूमि के अतिरिक्त, राज्य वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत 40 *प्रतिशत* तक घनत्व वाली अवनत वन भूमि की पहचान की जानी थी और उसे

[5] अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, पौड़ी, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर।

क्षतिपूरक वनीकरण के लिए उपलब्ध कराया जाना था। इसके अतिरिक्त, व्यवस्थित ढंग से लैंड बैंक के सृजन में तेजी लाने के लिए, मुख्य वन्यजीव वार्डन और राजस्व विभाग के प्रतिनिधियों के साथ हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स (हॉफ) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाना था।

नोडल अधिकारी के अभिलेखों की जाँच से ज्ञात हुआ (अक्टूबर 2022) कि राज्य वन विभाग ने न तो गैर-वन भूमि हेतु लैंड बैंक बनाया एवं न ही वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत वन संरक्षण प्रस्ताव के शीघ्र निपटान हेतु क्षतिपूरक वनीकरण लैंड बैंक के लिए 40 *प्रतिशत* तक घनत्व वाली अवनत वन भूमि चिन्हित की। इसके अतिरिक्त, व्यवस्थित रूप से लैंड बैंक के सृजन हेतु हॉफ की अध्यक्षता में समिति का गठन नहीं किया गया था। इस प्रकार, इससे अनुपयुक्त भूमि का चयन हुआ और क्षतिपूरक वनीकरण भूमि में दोहरापन हुआ जैसा कि ***प्रस्तर 5.5 और 5.7*** में चर्चा की गई है।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2023) और आश्वासन दिया कि क्षतिपूरक वनीकरण के कार्यान्वयन हेतु लैंड बैंक सृजन के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

2.2 प्रभागीय वन अधिकारियों के स्तर पर कमियाँ

वन संरक्षण दिशा-निर्देशों के अनुसार, डी एफ ओ को निर्धारित प्रपत्र में क्षतिपूरक वनीकरण के लिए चिन्हित किए गए गैर-वन क्षेत्र/अवनत वन क्षेत्र की उपयुक्तता के लिए स्थल निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। सैद्धांतिक स्वीकृति की एक प्रति प्राप्त होने पर, प्रभागीय वन अधिकारी एक मांग टिप्पणी तैयार करेगा जिसमें प्रतिपूर्ति शुल्क की मद-वार धनराशि जैसे क्षतिपूरक वनीकरण का सृजन एवं रख-रखाव की लागत, एन पी वी, कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान या वन्यजीव संरक्षण योजना के कार्यान्वयन इत्यादि की लागत सम्मिलित होती है, जिसका भुगतान उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा किया जाता है और इसे उपयोगकर्ता एजेंसी को प्रलेखों, प्रमाणपत्रों और वचन पत्रों की एक सूची के साथ प्रेषित किया जाता है। जिसको उपयोगकर्ता एजेंसी को दी जाने वाली सैद्धांतिक स्वीकृति में निर्धारित शर्तों के अनुपालन में प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। लेखापरीक्षा ने भूमि की विधिक स्थिति के प्रमाणीकरण और गैर-वन उद्देश्यों के लिए व्यपवर्तित क्षेत्र की उपयुक्तता के सम्बन्ध में डी एफ ओ स्तर पर निम्नलिखित कमियाँ देखीं:

2.2.1 वन भूमि का अनधिकृत उपयोग

वन संरक्षण दिशा-निर्देशों के प्रस्तर 11.2 के अनुसार वन भूमि पर कोई भी कार्य तब तक प्रारम्भ नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा वन भूमि के व्यपवर्तन का आदेश न दिया जाए। रैखिक परियोजनाओं[6] के प्रकरण में, सैद्धांतिक स्वीकृति के पश्चात एक वर्ष की अवधि के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति दी जा सकती है।

लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ कि 52 प्रकरणों[7] में, वन भूमि (188.62 हेक्टेयर) को गैर-वन उद्देश्य के लिए उपयोगकर्ता एजेंसी को व्यपवर्तित कर दिया गया था, जहाँ सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई थी परंतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति नहीं दी गई थी। तथापि, उपयोगकर्ता एजेंसी ने बिना अनुमति के वन क्षेत्र में सड़क का कार्य प्रारम्भ कर दिया। इसके अतिरिक्त, वन प्रभागों ने इन प्रकरणों में वन भूमि के अनधिकृत उपयोग का कोई संज्ञान नहीं लिया और इन्हें वन अपराध के प्रकरणों के रूप में दर्ज नहीं किया।

राज्य सरकार ने स्वयं कोई उत्तर नहीं दिया तथा चार प्रभागों के उत्तर संलग्न किए (जुलाई 2023)। प्रभागीय उत्तरों के अनुसार दो प्रभागों[8] ने तथ्यों को स्वीकार किया, जबकि दो प्रभागों[9] ने कहा कि सैद्धांतिक स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की गयी थी, अतः स्वीकृति की आवश्यकता नहीं थी। इन दो प्रभागों के उत्तर अनुचित थे क्योंकि वन संरक्षण दिशा-निर्देश स्पष्ट रूप से इंगित करते है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति मात्र सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही प्रदान की जा सकती है, जो कि कार्य प्रारंभ करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त नहीं की गई थी।

2.2.2 शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन पी वी) की लागत की कम वसूली

वन संरक्षण दिशा-निर्देशों के प्रस्तर 2.3 (i) के अनुसार गैर-वन उपयोग के लिए व्यपवर्तित वन भूमि के एवज में उपयोगकर्ता एजेंसी से क्षतिपूरक वनीकरण के लिए

---

6 नई सड़कें, मौजूदा राजमार्गों का चौड़ीकरण, ट्रांसमिशन लाइनें, जल आपूर्ति लाइनें, ऑप्टिक फाइबर केबलिंग, रेलवे लाइनें आदि।

7 डी एफ ओ, हरिद्वार: एक प्रकरण, 1.60 हेक्टेयर, टौंस (पुरोला): 09 प्रकरण, 46.34 हेक्टेयर, नरेंद्र नगर: 27 प्रकरण, 55.22 हेक्टेयर, पिथौरागढ़: 14 प्रकरण, 77.37 हेक्टेयर और तराई पूर्वी (हल्द्वानी): एक प्रकरण, 8.09 हेक्टेयर।

8 डी एफ ओ, हरिद्वार तथा पिथौरागढ़।

9 डी एफ ओ, नरेंद्र नगर तथा तराई पूर्वी (हल्द्वानी)।

धनराशि एकत्र की जानी है। वन के प्रत्येक भाग के लिए एन पी वी की गणना वन की गुणवत्ता[10] के आधार पर की जाती है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना (जनवरी 2022) के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र वस्तुओं और सेवाओं के वैज्ञानिक मूल्यांकन के परिणाम के आधार पर एन पी वी की दरों को संशोधित और निर्धारित किया गया था।

समस्त नमूना चयनित प्रभागों में, उत्तरदायी अधिकारियों ने न तो उपयोगकर्ता एजेंसी से नए प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए कोई आगे की कार्रवाई की और न ही पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना (जनवरी 2022) के संदर्भ में नई एन पी वी दरें लागू कीं। लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ कि वन प्रभाग सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्तों का पालन करने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप छः प्रकरणों में, जिनके लिए अंतिम स्वीकृति दी गई थी, ₹ 0.57 करोड़ की कम वसूली हुई। एन पी वी की कम वसूली का विवरण नीचे **तालिका-2.1** में दिया गया है:

तालिका-2.1: एन पी वी की कम वसूली का विवरण

(₹ करोड़ में)

वन प्रभाग का नाम	कार्य का नाम	आवश्यक वास्तविक एन पी वी (भारत सरकार की स्वीकृति के अनुसार)	उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा जमा एन पी वी	संग्रहित कम राशि
पिथौरागढ़	एल्गाड़ से जुम्मा मोटर मार्ग	0.31	-	0.31
	चरमन-जौरासी से बजनी मोटर मार्ग	0.18	0.12	0.06
सिविल एवं सोयम, पौड़ी	बर्सुदी लिंक मार्ग	0.07	0.06	0.01
नरेंद्र नगर	ज्वरना से बंगीयाल मोटर मार्ग	0.26	0.20	0.06
टौंस (पुरोला)	कुनोरा से लुडरना विद्युतीकरण	0.20	0.14	0.06
बद्रीनाथ	गोना भनली लिंक मोटर मार्ग	0.19	0.12	0.07
योग				**0.57**

राज्य सरकार ने अवगत कराया (जुलाई 2023) कि संबन्धित प्रभागों द्वारा उपयोगकर्ता एजेंसी से सैद्धांतिक स्वीकृति के समय एन पी वी की धनराशि जमा कराई जा चुकी है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अंतर की धनराशि अभी भी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश (जनवरी 2022) के अनुसार एकत्र की जानी थी।

[10] खुले वन: ₹ 6.99 लाख से ₹ 7.30 लाख प्रति हेक्टेयर, घने वन: ₹ 8.97 लाख से ₹ 9.39 लाख प्रति हेक्टेयर और बहुत घने वन : ₹ 9.91 लाख से ₹ 10.43 लाख प्रति हेक्टेयर।

2.3 निष्कर्ष

उत्तराखण्ड सरकार ने अनधिकृत रूप से उपयोगकर्ता एजेंसी को 1.03 हेक्टेयर वन भूमि के व्यपवर्तन के लिए अपने स्तर पर अंतिम स्वीकृति जारी कर दी थी जबकि यह केंद्र सरकार द्वारा दी जानी थी। प्रभागों द्वारा वन्यजीव शमन योजना हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति के स्थान पर अंतिम स्वीकृति के बाद उपयोगकर्ता एजेंसियों से ₹ 24.59 करोड़ धनराशि की मांग की गई थी। 22 प्रकरणों (208.62 हेक्टेयर) में, सक्षम प्राधिकारी ने अभी तक क्षतिपूरक भूमि को आरक्षित वन या संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित नहीं किया था। वन भूमि के व्यपवर्तन के 363 प्रकरणों (895.71 हेक्टेयर) में, जिनमें उपयोगकर्ता एजेंसी पाँच वर्षों से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी चरण-1 की शर्तों का पालन करने में विफल रही, उन्हें निरस्त नहीं किया गया। वन विभाग ने वन संरक्षण प्रस्ताव के त्वरित निस्तारण हेतु गैर-वन भूमि का लैंड बैंक सृजित नहीं किया। उपयोगकर्ता एजेंसियों ने 52 प्रकरणों में 188.62 हेक्टेयर वन भूमि में अनुमति के बिना सड़क कार्य प्रारंभ कर दिया। विभाग छः प्रकरणों में सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्तों का पालन करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.57 करोड़ की कम वसूली हुई।

2.4 अनुशंसाएँ

- ***वन भूमि के व्यपवर्तन एवं निधि प्रकरणों के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्तों का समय पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा उल्लंघन/अनुपालन न किये जाने की स्थिति में अपेक्षित कार्यवाही की जाए;***
- ***अनुपयुक्त भूमि चयन, जिसका व्यापक प्रभाव बैकलॉग, लागत वृद्धि और वृक्षारोपण की खराब उत्तरजीविता के रूप में पड़ता है, से बचने हेतु क्षतिपूरक वनीकरण के लिए एक लैंड बैंक सृजन किया जाना चाहिए। गैर-वन भूमि के लैंड बैंक का डाटाबेस तुरंत बनाया जाना चाहिए और इसे पारदर्शिता, लेखांकन और निगरानी की सुविधा हेतु अद्यतन रखा जाना चाहिए;***
- ***उपयोगकर्ता एजेंसी से एन पी वी की अवशेष धनराशि समय पर वसूलने हेतु एक तंत्र विकसित किया जाना चाहिए और इसे सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।***